

## ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा प्रचार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को परस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मान्यता प्राप्त पददान की जानी है।)

1. तैयारी की तारीख: 26.11.2023  
ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: 27.11.2023  
डी.डब्ल्यू.एस.एम. को परस्तुत किए जाने की तारीख: 27.11.2023
2. ग्राम का नाम: किशुनदेस पट्टी  
ग्राम पंचायत का नाम: \_\_\_\_\_  
ब्लॉक का नाम: कांभिलनगर  
जिला का नाम: कुरीनगर  
राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश  
ग्राम जनगणना कोड: 189502

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

### I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : ..... (संख्या) मवेशी कुंडों को और ..... (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों में जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात ..... घंटे निर्धारित गुणवत्ता वाले ..... एल.पी.सी.टी. जल की आपूर्ति वर्ष ..... तक ..... ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना  
हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूंजी लागत का \_\_\_\_\_%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

\* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.टी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

### II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?  
(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): ग्रामपंच जल एवं स्वच्छता समिति  
समिति को क्या कहा जाता है: VWS C  
अध्यक्ष का नाम: राजेश कुमार राय  
लिंग: पुं  
आयु: 39 वर्ष

सदस्य का नाम	लिंग	आयु
राजेश कुमार	पुं	40 वर्ष
अवधेश	पुं	36 11
संगीता देवी	मं	35 11

### III. सामान्य विवरण

6.

2011 की जनगणना के अनुसार:

जनसंख्या 391  
 परिवारों की संख्या 61  
 महिलाओं की संख्या 181  
 पुरुषों की संख्या 210  
 बच्चों की संख्या 70  
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या \_\_\_\_\_

वर्तमान पंचायत/ आंगनवाड़ी रिकॉर्ड के अनुसार

वर्तमान जनसंख्या 453  
 परिवारों की संख्या 70  
 महिलाओं की संख्या 209  
 पुरुषों की संख्या 243  
 बच्चों की संख्या 24  
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या \_\_\_\_\_

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): 19 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण  
 - वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): 33 किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मवेशी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): 110

9. कृषि फसल पैटर्न: सामान्य

	प्रमुख फसलें	खरीफ	रबी
गन्ना	✓	✓	
धान	✓	✓	✓
मक्का	✓		
कपास	✓		✓
गेहूँ	✓		
अन्य			

10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): सामान्य वर्षा

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): समतल

### IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं) हाँ  
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं) हाँ  
 ('ग्राम कार्य योजना' के साथ मानचित्र संलग्न करें)

14. क्र. सं. सार्वजनिक संस्था का नाम क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं) क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं) सोखता गड्डों की उपलब्धता? (हाँ/नहीं)

1.	स्कूल	1	1	1
2.	आंगनवाड़ी	1	1	1
3.	स्वास्थ्य केन्द्र	1	1	1
4.	ग्राम पंचायत भवन	1	1	1
5.	अन्य	6	1	1



**पानी की कुल दैनिक आवश्यकता**

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: \_\_\_\_\_ के.एन.टी.  
 मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता \_\_\_\_\_ के.एन.टी.  
 मवेशी कुंडों की आवश्यक संख्या \_\_\_\_\_  
 माध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर 29 के.एन.टी.  
 अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर 33 के.एन.टी.

**पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त**

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/घकड़वान/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पेट  
 पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति: \_\_\_\_\_
17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टकियों, रेल गाड़ियों आदि के माध्यम में पानी की आपूर्ति: नहीं
18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त: अभिनिर्धारित
19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त: डेंगू, डायरीया, पिलिया,

**पानी की गुणवत्ता**

20. फील्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें: प्रत्येक माह के 15 तारिख को
21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_
22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोत) के पानी की गुणवत्ता स्रोत का नाम (अवस्थिति): \_\_\_\_\_

मापदंड	तरीका	परिणाम
गंदगी	दृश्य तुलना	20NTU
पीएच	पट्टी रंग तुलना	7
पूर्ण लवणता	टिट्रोमेट्रिक विधि	200
पूर्ण क्षारीयता	टिट्रोमेट्रिक विधि	-
क्लोराइड	टिट्रोमेट्रिक विधि	280
अमोनिया	दृश्य रंग तुलना	-
फास्फेट	दृश्य रंग तुलना	-
अवशिष्ट क्लोरीन	दृश्य रंग तुलना	0.3
आयरन	दृश्य रंग तुलना	0.3
नाइट्रेट	दृश्य रंग तुलना	50
फ्लोराइड	दृश्य रंग तुलना	-
आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में)	दृश्य रंग तुलना	-

**कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान**

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ गरीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: 1

अवस्थिति का नाम	घरों की संख्या	आबादी
<u>पंचायत मजरा पट्टा</u>	<u>30</u>	<u>280</u>

**स्रोत स्थापित**

24. भू-जल स्रोत के मामले में क्या जीवजल विभाजक संरचना है? (हो/नहीं)

25. स्रोत से उन सीजुअल जल संवारी की सूची जिनका कार्याकल्प/संरचना तय की किया गया आवश्यक है

**मददाते जल का प्रबंधन**

26. उपर्युक्त मददाते जल (जल आपूर्ति का 65%) 16 के.एन.टी.

मलम-अलग सौकरता महुदी वाले परिवारी की संख्या 10

उन परिवारी की संख्या जिन्हें सौकरता महुदी की आवश्यकता है 5

आवश्यक सामुदायिक सौकरता महुदी की संख्या 4

क्या अपशिष्ट तलछट तलाब की आवश्यकता है? (हो/नहीं) नहीं

यदि हां, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है

यदि नहीं, तो मददाते जल प्रबंधन के कान से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

**V. जल आपूर्ति योजना**

27. निम्नलिखित में से किस बंधी के तहत एक.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे

- अंतिम छोर तक पहुंच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.टी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेडिफिकेशन
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेडिफिकेशन ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/स्थानीय या घरातली जल वाले गांवों में एस.टी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.टी.एस.
- वाटर मिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.टी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित है

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत शुद्ध तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर परस्तावित जल आपूर्ति योजना J.O.M.

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि 340108 है

वह तरीका, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.टी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी:

योजना की लागत PPR के अन्तर्गत भारत सरकार का हिस्सा 70% राज्य का हिस्सा 30%

समुदाय का हिस्सा व्यक्तिगत घरेलू अंशदान

वार्षिक प्रदान व रख-रखाव शुल्क 50 / 418 व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रयोग शुल्क संगीधर कोई दूरय बसावट हो तो, अभिनिर्धारित

पी.डब्ल्यू.एस.

**VI. मेल-जोल**

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/निधि मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाते हैं।)

योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित निधि
चौदहवा विल आयोग	ग्राम पंचायत	के-वाटर मैनोमेट, ड्रेनेज सिस्टम आदि।	
एक छ भाटा मिशन - ग्रामीण (एस.बी.एम.-बी)	पेयजल और एकच्छत विभाग, जल शक्ति मंत्रालय	के-वाटर मैनोमेट-सौकरता महुदे (व्यक्तिगत / सामुदायिक), अपशिष्ट तलछट तलाब आदि।	✓
एम.जी.एन.आर.ई. टी.एस.	ग्रामीण विकास मंत्रालय	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एम.) घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ	



योजना का नाम	केंद्र/राज्य सरकार का विभाग	समाहित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं	प्रस्तावित तिथि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आइ.डब्ल्यू.एस.पी.)	भूमि संसाधन विभाग	वाटरशेड पंचायत आर.डब्ल्यू.एस./ कृषि संरक्षण, जल संचयन का निर्माण वृद्धि आदि।	
जल भंडारों की संरक्षण नवीनीकरण और जीर्णोद्धार	जल संचयन, नदी विकास और जल संरक्षण विभाग	बड़े जल भंडारों का जीर्णोद्धार	
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य	
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.आई.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूक्ष्म-सिंचाई का प्राथमिक एकीकृत से जल की निरक्षरता को कम करने के लिए	
क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	वनीकरण, वन परिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, वाटरशेड विकास, आदि।	
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि	
समग्र शिक्षा	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान	
आकांक्षी जिला कार्यक्रम	नीति आयोग	जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ	
जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ)	राज्य	बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ	
एम.पी.एल.ए.डी.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई)	अंत-ग्राम अवसरचना	
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	राज्य	अंत-ग्राम अवसरचना	
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंत-ग्राम अवसरचना	

दानदाता/प्रायोजक

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: सुनीता सिंह

पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): \_\_\_\_\_

#### संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष/पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. सेवाती देवी
2. सुनीता देवी
3. कलावती देवी
4. कामा देवी
5. जाफती देवी

पंप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

सुभाष चंद्र 9889561085

सुनीता सिंह  
Manager  
AIM ACADEMY  
Bargadhi, Gorakhpur

ग्राम विकास अधिकारी/सचिव  
ग्राम पंचायत  
वि.डब्ल्यू.एस.सी. जनपद-कुशीनगर

सुनीता सिंह